न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 136/2005/223 आर टी ए

मगरदास उर्फ मघरदास पुत्र स्व. रामचंद जाति भाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

1. मक्खनराम पुत्र स्व. मोतीराम (फौत)

1/1 मु0 बस्ती देवी पत्नि मक्खनराम जाति भाट निवासी 12 पीबीएन हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/2 खजानाराम पुत्र मक्खनराम जाति भाट निवासी 12 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/3 जगदीश पुत्र मक्खनराम जाति भाट निवासी हांसलिया हाल आबाद वार्ड नं. 22 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/4 पतराम पुत्र मखनराम जाति भाट निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/5 महावीर पुत्र मखनराम जाति भाट निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/6 धर्मपाल पुत्र मखनराम जाति भाट निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/7 कैलम देवी पत्नि साधुराम पुत्री मक्खनराम जाति भाट निवासी 31 जीबी हाल तहसील विजयनगर हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/8 रूकमा पत्नि सतपाल पुत्री मक्खनराम जाति भाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/9 शारदा पत्नि नईराम पुत्री मक्खनराम जाति भाट निवासी हनुमान मंदिर के पास मुण्डा तहसील हनुमानगढ़ हाल आबाद 1 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2. चेतनराम पुत्र सरदाराराम (फौत)

2/1 सरस्वती पत्नि चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/2 सुमन पुत्री चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/3 कमला देवी पुत्री चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4 बिमलादेवी (मृतक) पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4/1 इन्द्रा पुत्री बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4/2 अंगूरी पुत्री बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4/3 सोनी पुत्री बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

2/4/4 संतरो पुत्री बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4/5 लिछमा पुत्री बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4/6 विक्रम पुत्र बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/4/7 कृष्ण पुत्र बिमला पत्नि जोतराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/5 ओमप्रकाश पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/6 दर्शन कुमार पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/7 रिछपाल पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/8 साहबराम पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/9 रामकुमार पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2/10 रामस्वरूप पुत्र चेतनराम जाति भाट निवासी चक 4 एलकेएस बी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. मदनलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. भूपराम पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. नानूराम पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. देवीलाल पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. पप्पूराम उर्फ बलवंतराम (मृतक)

8/1 मु0 वीरा पत्नि स्व. पप्पूराम जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8/2 गणेशा पुत्र स्व. पप्पूराम जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8/3 पूजा पुत्री स्व. पप्पूराम (अविवाहित मृतका) जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

9. हेतराम पुत्र स्व. हरीराम जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. बनवारीलाल पुत्र स्व. हरीराम जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. छोटिया उर्फ मनीराम पुत्र स्व. हरीराम जाति भाट निवासी हांसलिया हाल चक 4 एलकेएस बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. घमाराम पुत्र स्व. मोतीराम जाति भाट निवासी चक 5 एलकेएस मे ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. भंवरलाल पुत्र स्व. मुखराम जाति भाट निवासी पुरानी लखूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. हंसराज पुत्र स्व. मुखराम जाति भाट निवासी कुतितयांवाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.96 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 104/1995 अनवानी मक्खनराम बनाम रामचन्द्र आदि

उपस्थित :–
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13
श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन अधिवक्ता रेस्पो0 2/4/1 से 2/4/7, 2/5 से 2/10
श्री जयपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांकः–23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 7 के पिता स्व. रामचन्द्र तथा रेस्पो0 सं. 2 व 8 से 15 के विरूद्ध के विरूद्ध पेश किया कि वादी/रेस्पो0 सं. 1, अपीलांट व रेसे0 सं. 3 ता 14 के दादा स्व. सरदारा राम पुत्र कालू को बतौर पाकिस्तान विस्थापित चक 3 एलकेएस मे खसरा नं. 55 मिन मे 33 बीघा भूमि क्लेम मे आवंटन हुई थी। चक प्लान मे आने पर आवंटित भूमि चक 5 एलकेएस–ए के प.न. 16/279 के कि.न. 1 ता 4, 6 ता 25 कुल 24 बीघा प.न. 17/279 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 कुल 9 बीघा कुल 33 बीघा पैमूद हुई। रामचन्द्र पुत्र सरदारा पिता अपीलांट ने वादी रेस्पो0 सं. 1 व सरदारा राम के अन्य वारिसान को उनके हिस्सा से महरूम करने की नियत से उक्त आराजी सरदारा पुत्र कालू के नाम के स्थान पर अपना नाम रामचन्द्र पुत्र कालू अंकित करवा लिया। इसके आधार पर प्रतिवादी सं. 1 रामचन्द्र अकेला मालिक बन गया है। विवादित आराजी पैतृक है। इन अभिकथनो के साथ वादी ने विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक सम्पति घोषित करने तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्सा के काश्तकार होने की घोषणा के अनुतोष की याचना की। वाद लम्बित रहने हनुमानगढ़ जिला सृजित होने से पत्रावली दिनांक 07.06.1995 को हनुमानगढ़ स्थानान्तरित होकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता रामचन्द्र पर तारीख पेशी 07.03.1996 के लिए सम्मन की तामील सम्मन लेने से इन्कार के आधार पर मानते हुए दिनांक 16.03.96 को रामचन्द्र के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया व तत्पश्चात वादी स्वयं मात्र के

ब्यान बाद सुनवाई वादी दिनांक 12.06.96 को वादपत्र वादी स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील स्व. रामचन्द्र के वारिस होने के आधार पर बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधि विरूद्ध है। प्रश्नगत भूमि महकमा कस्टोडियन से बतौर नॉन क्लेमेंट अपीलांट के पिता स्व. रामचन्द्र को उनके पारिवारिक सदस्य के रूप मे चेतनराम व हरिराम पि. सरदारा राम को आंवटित हुई है व आवंटन के समय से ही इनके व रामचन्द्र और हरिराम की मृत्योपरान्त उनके वारिसान तथा चेतनराम के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। रामचन्द्र पुत्र सरदाराम को प्रश्नगत भूमि आंवटन के पश्चात पुनर्वास अधिकारी के यहां से जारी नोटिस आदि मे सहबन से रामचन्द्र के पिता के नाम की जगह दादा कालू का नाम दर्ज हो गया था, जिसके संबंध मे दुरूस्ती की कार्यवाही भी अदालत जिला पुनर्वास अधिकारी के समक्ष लम्बित है। इसलिये भी रेस्पो. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दावा अधीनस्थ न्यायालय मे पोषनीय नही है। स्व. रामचन्द्र काफी समय से आंखो से अन्धे हो गये थे। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे पिता अपीलांट को कोई नोटिस की तामील नही हुई व ना ही पिता अपीलांट ने किसी नोटिस को लेने से इन्कार किया। दादा अपीलांट सरदारा राम के पुत्र मोतीराम व मुखराम की अरसा पूर्व मृत्यु हो चुकी है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा वर्णित अभिकथनो के मुताबिक मोतीराम व मुखराम के समस्त वारिसान दावा मे आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पो0 सं. 1 ने जानबूझकर स्व. मोतीराम की पुत्रियों सुखीदेवी, निम्मो देवी, सरबती देवी तथा स्व. मुखराम की पुत्रियों विद्यादेवी, रामप्यारी व नारायणी देवी को दावा मे पक्षकार नही बनाया है।

4. रेस्पो0 सं. 1 व 13 ने सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 88 आरटीए दिनांक 23.01.2004 को प्रस्तुत किया व इस दावा के साथ प्रश्नगत भूमि पर रिसीवर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर सहायक कलैक्टर पीलीबंगा ने प्रश्नगत भूमि पर दिनांक 06.09.2005 को रिसीवर नियुक्ति का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट व अन्य ने माननीय न्यायालय के समक्ष ही अपील अनवानी चेतनराम बनाम मक्खनराम प्रस्तुत की हुई है जो लम्बित है। सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 06.09.2005 के पश्चात चुनौती अधीन निर्णय की पत्रावली की अपीलांट द्वारा छानबीन की गई तो यह पत्रावली अभिलेखागार शाखा हनुमानगढ़ मे मिली तब अपीलांट ने चुनौती अधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.1996 तथा अन्य नकल प्राप्त की जो अपीलांट को दिनांक 24.10.2005 को प्राप्त हुई। इसलिये ज्ञान से अन्दर मियाद अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि स्व. सरदारा पुत्र कालूराम को आवंटित हुई थी। परन्त रिकार्ड मे उक्त भूमि रामचन्द्र पुत्र कालूराम के नाम से दर्ज करवाई गई। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु घोषणा का दावा रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र पुत्र कालू के स्थान पर मूल आवंटी सरदारा राम पुत्र कालू के नाम दर्ज करने की घोषणा की गई जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि जो स्व. सरदारा वल्द कालू को कस्टोडियन विभाग द्वारा बतौर नॉन क्लैमेंट आवंटित की गई थी तथा उक्त सरदारा वल्द कालू के स्थान पर रामचन्द्र वल्द कालू के नाम दर्ज होने का कथन करते हुए उक्त मूल आवंटी सरदारा वल्द कालू के नाम दर्ज करने की घोषणा की अनुतोष चाहा गया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं कथनानुसार प्रश्नगत भूमि महकमा कस्टोडियन से बतौर नॉन क्लेमेंट अपीलांट के पिता स्व. रामचन्द्र को उनके पारिवारिक सदस्य के रूप मे चेतनराम व हरिराम पि. सरदारा राम को आंवटित हुई है व आवंटन के समय से ही इनके व रामचन्द्र और हरिराम की मृत्योपरान्त उनके वारिसान तथा चेतनराम के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। रामचन्द्र पुत्र सरदाराम को प्रश्नगत भूमि आंवटन के पश्चात पुनर्वास अधिकारी के यहां से जारी नोटिस आदि मे सहबन से रामचन्द्र के पिता के नाम की जगह दादा कालू का नाम दर्ज हो गया था, जिसके संबंध मे दुरूस्ती की कार्यवाही भी अदालत जिला पुनर्वास अधिकारी के समक्ष लम्बित है। वादग्रस्त भूमि कस्टोडियन विभाग से आवंटित हुई है व इस भूमि की सनद अभी तक जारी नही हुई है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटित भूमि है तथा जिसकी खातेदारी सनद भी जारी नही हुई। उक्त भूमि सनद बाबत अलग से नियमानुसार सनद जारी करवाने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवंटन नियमो के तहत सनद जारी किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गैर खातेदारी (आवंटित) भूमि मे किसी पक्षकार के हको की घोषणा नही की परन्तु अपीलांट के पिता रामचन्द्र एवं रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र वल्द कालू के स्थान पर सरदारा वल्द कालू के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिपूर्ण नही है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्राप्त नही हो सका। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.96 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.1996 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे जारी परिपत्र के अनुसरण मे प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official